

बिहार विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY TO ASSEMBLY : Sir, the following messages have been received from the Bihar Legislative Council :—

(1) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday considered and passed without any recommendation the Bihar Finance Bill, 1952.

(2) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday considered and passed without any recommendation the Bihar Appropriation (Vote on Account) Bill, 1952.

(3) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday agreed without any amendment to the Bihar School Examination Board Bill, 1952.

श्री मोइनुद्दीन अहमद खां की ६० दिन से अधिक अनुपस्थिति पर विचार।

ABSENCE OF SHRI MOINUDDIN AHMAD KHAN FROM THE MEETINGS OF THE ASSEMBLY FOR MORE THAN SIXTY DAYS.

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण,

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि बिहार विधान सभा नियमावली के नियम ५४ के उप-नियम (५) के अधीन और संविधान के अनुच्छेद १९० के खंड (४) में बतायी गई रीति से गिनती करने पर श्री मोइनुद्दीन अहमद खां इस विधान-सभा के अधिवेशनों से, सदन की अनुमति के बिना ६० दिनों से अधिक अनुपस्थित रहे हैं और सभा के उपर्युक्त नियम के उपनियम (१) के अनुसार उनकी अनुपस्थिति की अनुमति के लिये कोई आवेदन-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब सभा को यह विचार करना है कि इनके स्थान को रिक्त घोषित किया जाय या नहीं। सभा की क्या राय है? क्या इनका स्थान सभा रिक्त करना चाहती है?

कई माननीय सदस्य—अब उनका स्थान क्या रिक्त घोषित किया जायेगा? लेट हिम

डाई ए नेचुरल डेथ।

माननीय अध्यक्ष—अच्छी बात है। उनका स्थान रिक्त घोषित नहीं किया जाता है।

सत्रावसान के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य।

OBSERVATION OF HON'BLE THE SPEAKER REGARDING THE TERMINATION OF THE SESSION.

माननीय अध्यक्ष—अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है। ३१ मार्च को इस सभा

का सत्र समाप्त हो जायेगा। उस दिन माननीय सदस्यों को सुविधा होगी यदि बैठक सुबह में हो। माननीय मुख्य मंत्री का सदन में रहना आवश्यक है और उनको भी यहां पर ९ बजे आने में सुविधा होगी, इसलिए उस दिन की बैठक ९ बजे से शुरू होगी।

सभा सोमवार, तिथि ३१ मार्च, १९५२ को ९ बजे तक ६ गित की गई।

बि० सं० मु० (एल०ए०) ५१(ए)—७९४+१—मोनो—२६-७-१९५३—वी०सिंह

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ साहय—(क) आग लगने की ऐसी खबर न तो मंडल प्रदाधिकारी, नवादा की और न राजस्व विभाग को मिली है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) आग लगने से पीड़ित जनता को विहित नियमों और शर्तों के अनुसार सहायता देने के लिए सरकार सदा तैयार रहती है तथा किसी पीड़ित के आवेदन पर विचार और निर्णय औचित्य के अनुसार होता है। इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल प्रदाधिकारी, नवादा का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

भभुआ सबडिवीजन में लघु सिंचाई योजना के ठीकेदारों के बाकी रुपये।

*१५१। श्री गुप्त नाथ सिंह—कृपया माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि भभुआ सबडिवीजन में लघु सिंचाई योजना के ठीकेदारों के, जो अधिकांश रूप से निर्धन किसान हैं, पूरे रुपये चुकता नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या यह बात सही है कि अपने रुपये लेने के लिए निर्धन किसान ठीकेदारों को साल भर से परेशानी उठानी पड़ रही है;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस विलम्ब का क्या कारण है और सरकार सारी रकम को शीघ्रातिशीघ्र चुकता करा देने की व्यवस्था करने का विचार करती है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) All contractors of minor irrigation schemes are paid on "on-account" basis. The contractors who have completed their schemes have all been paid keeping a balance of 10 per cent for further checking to ensure that no over-payment is made to any contractor. This ten per cent is also being cleared off gradually; since the entire on-account payment has been finished. Chainpur and Chand Thanas were first of all taken up for this ten per cent balance payment. Other thanas have been taken up since the last fortnight. On an average about twenty bills clearing off the ten per cent balance are presented on every treasury day. About two hundred schemes are pending this final payment which also is being expedited. At the rate of 20 bills per treasury day it will take another five to six weeks to clear off the entire dues.

(b) Since ninety per cent payment has been made to every contractor, there can be no point in the statement that hardship is caused to them because of non-payment.

(c) In 1950-51, 301 minor irrigation schemes were completed in this subdivision incurring a total expenditure of about Rs. 3,75,000. In 1951-52, 334 schemes were completed incurring a total expenditure of Rs. 4,70,000. Thus out of 635 schemes completed during the last two years about two hundred schemes are

pending for the ten per cent payment. These will also be cleared off as expeditiously as possible. In fact they would have been cleared off by now but for the fact that for over six weeks the entire work had to be suspended because all clerks, minor irrigation inspectors and all officers were put on full-time election duties including counting of votes.

श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि समय पर पेमेंट नहीं होने के कारण लोगों को आने जाने की और तरह-तरह की बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है ?

माननीय श्रीकृष्ण बल्लभ साहय—६० परसेंट पेमेंट के लिए तो उनको आना जाना नहीं पड़ा है। गवर्नमेंट को भी तो यह देखना है कि किसी तरह का ओवर पेमेंट न हो, इसीलिए १० परसेंट पेमेंट को रोक दिया गया, वह भी जल्द मिल जायगा।

पलामू ज़िले के चैनपुर स्टेट में खैर गाछ।

*१५२। श्री भागीरथी सिंह—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के चैनपुर स्टेट में जंगल अधिकारियों ने कय बनाने के लिए खैर गाछ छूट कटवाये हैं;

(ख) क्या यह बात सही है कि नवम्बर, १९५१ से फरवरी, १९५२ तक लगातार कई जगहों में कय का बनाना जारी रहा और किसी ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया;

(ग) क्या यह बात सही है कि इन तीन-चार महीनों के अरसे में चैनपुर स्टेट की अनेक जगहों में खैराला (कय बनाने की जगहें) बना कर जंगल के भीतर से कुल खैर के पेड़ कटवा कर कय बनवा लिये गये;

(घ) क्या यह बात सही है कि चैनपुर राज्य के मालिक हर तीन वर्ष में कय बनाने के लिए लाखों रुपये में खैर गाछ बेचते थे ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (a) It is not a fact that a large number of *Khair* trees in Private Protected Forest areas have been cut with the connivance of the forest staff of Chainpur Range but several persons taking settlement of *Khair* trees standing on *raiya* land from landlords and *raiya* have cut *Khair* trees for the manufacture of *kath*.

(b) Several cases have been instituted against persons who were involved in cutting the *Khair* trees from the Forest areas under the control of the Forest Department under the cover of their settlement of *Khair* trees on the *raiya* land.

(c) It is a fact that several *khairsalas* existed outside the private protected forests of Chainpur Range for manufacture of *kath* by persons taking settlement of *khair* trees standing on *raiya* land but not within the conserved areas.

(d) Government have no such information, but as there were no *Khair* trees of exploitable size in Chainpur Range after the forests came under Government control, it is presumed that the proprietor made settlement of *Khair* trees indiscriminately and over-exploited the trees.